PAGE 1 OF 2	अभियोजन साक्षी संख्याः 04

विशेष न्यायालय उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम जनपद – कानपुर देहात।		
विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 38/2012		
राज्य	**बनाम**	विजय उर्फ सोनू आदि

नाम साक्षीः योगेन्द्र सिंह पुत्र मनभावन सिंह	अपराध संख्या-253/2011
उम्रः लगभग 67 वर्ष, पेशाः सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक	धारा-3(1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट
पता साक्षीः ग्राम ग्योडी, थाना-खन्ना, जनपद-महोबा	थाना-गजनेर, कानपुर देहात।

दिनांकः-17.04.2026

मैं **साक्षीः योगेन्द्र सिंह पुत्र मनभावन सिंह, उम्रः लगभग 67 वर्ष, पेशाः सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक, पता साक्षीः ग्राम ग्योडी, थाना-खन्ना, जनपद-महोबा** शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि.....

1. दिनांक 04.12.2011 को मैं थाना गजनेर में थाना कार्यलेख पर आरक्षी मुहर्रिर के पद पर तैनात था। उसी दिन अनुमोदितशुदा गैंगचार्ट मिलने के उपरान्त तत्कालीन थानाध्यक्ष, थाना-गजनेर संजीव कुमार सिंह राठौर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 253/2011 अन्तर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट थाना गजनेर की एफआईआर अभियुक्त विजय उर्फ सोनू आदि आठ नफर के विरुद्ध जुबानी शब्द-ब-शब्द बोलकर पंजीकृत करायी थी। उनके द्वारा जो बोला गया था वही मैंने एफआईआर में शब्द-ब-शब्द टंकित किया था। पत्रावली में शामिल मूल एफआईआर पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श P-1** अंकित किया गया।

2. मुकदमें की कायमी मेरे द्वारा रपट संख्या 02 समय 00:10 बजे दिनांक 04.12.2011 में की गयी थी।

4. पत्रावली में संलग्न कायमी जीडी मेरे द्वारा कायम की गयी थी। जीडी कायमी की मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर **<u>प्रदर्श P-2</u>** अंकित किया जा चुका है।

5. मुकदमा उपरोक्त के विवेचक ने मेरे बयान अंकित किये थे।

प्रतिपरीक्षा

6. गजनेर थाने में वर्ष 2010-11 में तैनात रहा हूँ। उपरोक्त मुकदमें में कुल आठ अभियुक्त थे जिनके नाम मुझे इस समय याद नहीं है। मुझे याद नहीं है कि किस अभियुक्त पर कितने मुकदमें दर्ज हैं।

7. एफआईआर तत्कालीन थानाध्यक्ष के मौखिक आदेशानुसार दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज कराने थानाध्यक्ष अपने हमराहियों के साथ आए थे। मुझे याद नहीं है कि उस समय थानाध्यक्ष के साथ कुल कितने हमराही थे।

8. थानाध्यक्ष ने एफआईआर बोलबोलकर दर्ज करायी थी। थानाध्यक्ष के अतिरिक्त उस समय थाने पर अन्य कोई उच्चाधिकारी मौजूद नहीं था।

9. एफआईआर दर्ज करने में मुझे लगभग एक घंटे का समय लगा था।

10. यह कहना गलत है कि मैंने गलत तथ्यों के आधार पर मात्र थानाध्यक्ष के कहने पर एफआईआर दर्ज कर दी हो।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।

HANS PRAKASH DIXIT